# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
## जिला चित्तौड़गढ़
### पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 11/2021
दायर दिनांक : 02/02/2021
निर्णय दिनांक : 15/10/2025

**उनवान**

1. कैलाश पिता बंशीलाल ब्राहम्ण निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर

**वादी**

**बनाम**

1. ओमप्रकाश पिता बंशीलाल ब्राहम्ण निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
2. तहसीलदार, भूपालसागर

**प्रतिवादीगण**

## राजस्व वाद अंतर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

**उपस्थिति :** 1. श्री मांगीलाल बैरवा, वादी अधिवक्ता
2. श्री अनिल नामधर, प्रतिवादी अधिवक्ता

## :: निर्णय ::

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र बाबत् बंटवाडा आराजियात अंर्तगत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का पेश किया । जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैः–

यह कि ग्राम कांकरवा पटवार हल्का कांकरवा तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में मौजूदा रिकार्ड में जमाबंदी दर्ज खाता सं. 60 से दर्ज आ.सं. 2248 रका 0.29 है., आ.सं. 2253 रकबा 0.60 है. , आ.सं. 2254 रकबा 0.25 है., आ.सं. 2260 रकबा 0.04 है., अ.सं. 2261 रकबा 0.28 है., आ.सं. 2263 रकबा 0.30 है., आ.सं. 2271 रकबा 0.17 है. आ.सं. 2272 रकबा 0.21 है., आ.सं. 2274 रकबा 0.03 है. , आ.सं. 4854/2262 रकबा 0.09 है., किता 10 रकबा 2.26 है. भूमि दर्ज है जिसमें से वादी का 1/2 दर्ज रिकार्ड है। जिसमें वादी के हक हिस्से में आ.सं. 2248 रकबा 0.15 है. आ.सं. 2253 रकबा 0.30 है., आ.सं. 2254 रकबा 0.13 है., आ.सं. 2263 रकबा 0.30 हे. आ.सं. 2271 रकबा 0.13 है., आ.सं. 2274 रकबा 0.03 है., आ.सं. 4854/2262 रकबा 0.09 है. किता रकबा 1.13 है. स्थित है एवं प्रतिवादी सं. एक के हिस्से में आ.सं. 2248 रकबा 0.14 है., आ.सं. 2253 रकबा 0.30 है., आ.सं. 2254 रकबा 0.12 है., आ.सं. 2260 रकबा 0.04 है., आ.सं. 2261 रकबा 0.28 है., आ.सं. 2271 रकबा 0.04 है., आ.सं. 2272 रकबा 0.21 है. कुल 1.13 है. स्थित है। वादी व प्रतिवादी के बीच आज से करीब 30 वर्ष पूर्व मौके पर बंटवारा होने के बाद वादी ने वादी के हिस्से व कब्ज काश्त की सम्पूर्ण आराजियात को आबादान किया। लाखों रूप्ये की उपजाउ मिट्टी भरवाई और तारबंदी, थुहर बाड की जिसमें लाखों रूप्या खर्च किया किन्तु अब वादी के हक हिस्से की आराजियात कीमती हो जाने से प्रतिवादी सं. 1 की नीयत खराब हो गई व वादी को बेदखल करने की धमकियां देता है। अतः उक्त कुलिया आराजियात का बंटवारा कराया जाकर वादी की अलग से खाताबंदी नक्शा एवं लगानबंदी कायम कराने की डिक्री फरमाई जावे।

इस बाबत् प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा हेतु प्राथमिक डिक्री इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.11.2024 के द्वारा तहसीलदार, भूपालसागर को बंटवाड़ा प्रस्ताव मौके पर जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तैयार कर न्यायालय में भिजवानें हेतु भेजा गया। तहसीलदार, भूपालसागर के द्वारा वादी एवं प्रतिवादी को अग्रिम सूचना पत्र जारी कर पटवार हल्का एवं भू अ. निरीक्षक, कांकरवा [illegible] राजस्व रिकार्ड व मौका निरीक्षण कर बंटवारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पत्रांक/भू.अ./20[illegible]/11[illegible] दिनांक 09.10.2025 से प्रेषित किया गया, जो शामिल पत्रावली है। उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वकील उभयपक्ष ने निवेदन किया कि उक्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार बंटवारा करने में कोई आपत्ति नहीं है एवं अंतिम डिक्री जारी की जावे। वकील उभयपक्ष की बहस व बंटवाड़ा रिपोर्ट के अनुसार निम्नानुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.11.07 10:46:25 IST
Reason: SelfAttested

भूमि बंट में रखी जाकर राजस्व रेकार्ड में इंद्राज करने के आदेश दिये जाते है। फर्द मौका व बंटवाड़ा प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा –

| क्र.सं | काश्तकार | आ.न. | रकबा | लगान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री ओमप्रकाश पिता बंशीलाल ब्राहम्ण सा. देह | 2248 | 0.15 | 2.10 |
| | | 2253 | 0.30 | 0.90 |
| | | 2254 | 0.1250 | 0.75 |
| | | 2260 | 0.04 | 1.12 |
| | | 2261 | 0.28 | 7.84 |
| | | 2271 | 0.17 | 2.38 |
| | | 2272 | 0.03 | 0.09 |
| | | 2274 | 0.0350 | 1.30 |
| | योग | 8 | 1.13 | 16.48 |
| 2 | श्री कैलाश पिता बंशीलाल ब्राहम्ण सा. देह | 2248 | 0.14 | 1.96 |
| | | 2253 | 0.30 | 0.90 |
| | | 2254 | 0.1250 | 0.75 |
| | | 2263 | 0.30 | 0.90 |
| | | 2272 | 0.1750 | 6.47 |
| | | 4854／2262 | 0.09 | 0.27 |
| | योग | 6 | 1.13 | 11.25 |

इस आशय की अंतिम डिक्री जारी होकर तहसीलदार भूपालसागर को राजस्व रेकार्ड में इंद्राज हेतु भेजी जावे। इस बाबत् पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर, जिला-चित्तौड़गढ़

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.11.07 10:46:25 IST
Reason: SelfAttested